प्रश्न सं. [क्र. 2250]

परिशिष्ट- अ

युवा स्वाभिमान योजना

उद्देश्य - नगरीय क्षेत्र में निवासरत युवाओं को व्यावसायिक कौशल-प्रशिक्षण प्रदान करते हुए भविष्य हेतु क्षमता संवर्धन करना तथा जीवन-यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु एक वर्ष में सौ दिवस का अस्थाई रोजगार एवं समानुपातिक स्टाइपेण्ड प्रदान करना।

पात्रता- योजना हेतु निम्न युवा अभ्यर्थी पात्र होंगे

1. मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के निवासी हों।
2. 01 जनवरी 2019 को जिनकी आयु 21 ये 30 वर्ष के मध्य हों।
3. परिवार की वार्षिक आय रू. 2 लाख मात्र से कम हों।
4. महात्मा गाँधी नरेगा योजना के जाब कार्ड धारी न हों।

क्रियान्वयन एजेंसी- नगरीय निकाय विभाग नोडल एजेंसी के रूप् मे कार्य करेगा जो म.प्र. रोजगार निर्माण एवं कौशल विकास बोर्ड तथा मैप-आईटी के समन्वय से योजना का संचालन करेगा।

योजना का परिचालन

प्रक्रिया-

1. पात्र अभ्यर्थी युवा पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर पंजीयन कर अभिस्वीकृति-पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करेंगे। पोर्टल द्वारा उन्हें 'पहले-आओ, पहले-पाओ' (First Come First Serve) आधारित कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जायेगी जिसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाईल पर SMS एवं मोबाईल एप पर दी जायेगी। ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकरी उनका आधार-आधारित-सत्यापन (e-KYC) करेगें तथा निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे।

2. इसके पश्चात 90 दिवस तक 4 घंटे नगरीय द्वारा आंवटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास हेतु प्रषिक्षण दिया जायेगा जिसमे न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी को कृत कार्य के समानुपातिक भुगतान की आर्हता होगी। यह न्यूनतम उपस्थिति कार्य में 33% एवं प्रशिक्षण में 70% होगी। उक्त दिवसो से आशय केवल कार्य-दिवस है। भुगतान की समस्त सूचनाएं अभ्यर्थी को SMS आदि से सतत प्रेषित की जायेगीं-जैसे कि बैंक खाते के आधार से लिंक न होने की दशा में उसे यथाशीघ्र विधिवत लिंक करवाने की सूचना इत्यादि।

पंजीयन- अभ्यर्थी द्वारा www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in से किया जाकर अभिस्वीकृति पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त किया जायेगा, जिसके विवरण अंतिम/स्वपोषण आधारित होंगे। और ऑनबोर्डिंग के समय आधार सत्यापन के अधीन होगे। पंजीयन में अभ्यर्थी को अपनी पंसद के तीन नगरीय निकाय, तीन कार्य एंव तीन कौशल प्रशिक्षण ट्रेड प्राथमिकता क्रम में चयन करने के विकल्प उपलब्ध होंगे। पंजीयन योजना प्रारम्भ के बाद कभी भी किया जा सकता है। पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा निवास, आय एवं मनरेगा जॉब कार्ड धारी न होने का स्वप्रमाणन किया जायेगा।

कार्य आंवटन- राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को वाछिंत नगरीय निकाय पर कार्य आंबटन को पोर्टल के माध्यम से पहले-आओ, पहले-पाओ के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय एस

Shilpa Malewar
Assistant Director

कार्यो की सूची तैयार करेगा जो निर्माण कार्य अथवा सेवा से जुड़े हो और जहां अस्थाई रोजगार की संभावनाएं है। ऐसे कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम, अमृत योजना के तहत स्वीकृत कार्य अथवा नागरिक सेवाएं जैसे जलकर अथवा संपत्ति कर की वसूली/सर्वे आदि हो सकते है। इन विहित कार्यो की सूची नगरीय निकाय के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्षित की जाएगी।।

ऑनबोर्डिंग - निकाय के नोडल अधिकारी पोर्टल पर अभ्यार्थियों की ऑनबोर्डिंग, आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC द्वारा करेगे और अभ्यर्थी को एक सुपरवाइजर से मैप करेगे। इस कार्य के लिये प्रत्येक निकाय पर आवश्यकतानुसार बायोमेट्रिक आधार मशीन क्रय की जायेगी। उसी समय पोर्टल अभ्यर्थी को यथासंभव उसकी पसंद के अनुसार कौशल प्रशिक्षण ट्रेड आवांटित करेगा। और अभ्यर्थी, सुपरवाइजर एंव कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को यथा आवश्यक सूचना SMS प्रेषित करेगा।

निकाय स्तरीय विहित कार्य प्रशिक्षण- निकाय के नोडल अधिकारी सुपरवाइजरों के माध्यम से 10 दिवसीय (8 घंटे प्रतिदिन) निकाय स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। यह प्रशिक्षण अभ्यर्थी को उसी विहित कार्य में दिया जायेगा जो कार्य शेष 90 दिवस उसे निकाय में प्रतिदिन 4 घंटे सम्पादित करना है।

विहित कार्य सम्पादन एवं कौशल प्रशिक्षण - निकाय पर 10 दिवस के प्रशिक्षण के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा 90 कार्य दिवस तक प्रतिदिन 4 घंटे विहित कार्य एवं 4 घंटे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा कौशल प्रशिक्षण का कार्य म. प्र. रोज़गार निमार्ण एवं कौशल विकास बोर्ड के तत्वाधान में ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन योजना या प्रधान मंत्री कौशल संवर्द्धन योजना के पोर्टल्स के माध्यम से प्रारंभ कर 90 कार्य दिवसो तक उसके कार्य घंटो के बाहर सामान्यतः प्रातः अथवा संध्या में दिया जायेगा।

स्टाइपेंण्ड भुगतान एवं उपस्थिति- उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व निकाय मे सुपरवाइजर एवं कौशल प्रशिक्षण केन्द्र पर टेनिंग सर्विस प्रोवाइडर का होगा।

न्यूनतम उपस्थिति - कार्य में 33% एवं प्रशिक्षण में 70% न्यूनतम में उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी स्टाइपेण्ड भुगतान हेतु अर्ह/पात्र होगा। इस प्रकार पात्र होने के पश्चात् नगर निकाय में कृत दिवसो के विरूद्ध समानुपातिक दर पर (Pro rata Basis) पर भुगतान किया जायेगा।
भुगतान हेतु राज्य स्तरीय नोडल खाते से निकाय के नोडल अधिकारी स्वयं के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से epo जारी कर सीधे अभ्यर्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में आधार आधारित भुगतान करेंगे।

कार्य एवं दायित्व

अभ्यर्थी के कार्य एवं दायित्वः-

- युवा स्वाभिमान में पंजीयन करना
- आनबोर्डिंग के समय उपस्थित रहना
- निकाय पर विहित-कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना
- ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना
- निकाय पर विहित कार्य सम्पादित करना
- बैंक अकाउण्ट को आधार से लिंक करवाना

राज्य नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः-

- अधिकतम पंजीकरण के लिए आईईसी और मोबिलाइजेशन

Shilpa Malewar
Assistant Director
Urban Administration & Development
BHOPAL (M. P.)

- निकाय के नोडल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर को नोडल बैंक खाते से जोड़ना
- समग्र समन्वय, निगरानी और पर्यवेक्ष

निकाय के नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्व:-

- अधिकतम पंजीकरण के लिए आईईसी और मोबिलाइजेशन
- विहित कार्य आवंटन
- पर्यवेक्षक नियुक्ति
- आनबोर्डिंग
- उम्मीदवार-पर्यवेक्षक हैंण्डशक
- निकाय स्तरीय विहित कार्य प्रशिक्षण व्यवस्था (10 दिन)
- भुगतान प्रसंस्करण (उम्मीदवार बैंक विवरण सुनिश्चित करना)

सुपरवाईजर के कार्य एवं दायित्व:-

- दैनिक उपस्थिति
- निकाय स्तरीय विहित कार्य प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के कार्य एवं दायित्व:-

- बैच निर्माण
- कौशल प्रशिक्षण

मैप-आईटी के कार्य एवं दायित्व:-

- सम्पूर्ण योजना के लिए तकनीकी व्यवस्था

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
शहरी विकास एवं आवास विभाग

Shilpa Malewar
Assistant Director
Urban Administration & Development
BHOPAL (M. P.)